[2022] 2 एस. सी. आर 155

ईसीजीसी लिमिटेड

वी.

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

(2021 का आई. ए. सं. 99210)

में।

(2021 की सिविल अपील संख्या 1842)

15 फरवरी, 2022

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियमः 1986 और 2019 अधिनियम की प्रयोज्यता-तत्काल मामले में, शिकायतकर्ता को इराक सरकार द्वारा एक अनुबंध दिया गया था-शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि अनुबंध के तहत किए गए काम के लिए जारी किए गए चालान के लिए भुगतान निलंबित कर दिया गया था-इस प्रकार, राष्ट्रीय आयोग के समक्ष राहत मांगी गई थी।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत शिकायत दर्ज करके आयोग, जिसकी अनुमति दी गई थी-तत्काल अपील में, प्रश्न

विचार के लिए यह है कि क्या अपील के तहत शासित किया जाएगा

1986 या 2019 अधिनियम-आयोजितः 2019 अधिनियम की धारा 67 में कहा गया है कि किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति ने 50 प्रतिशत राशि जमा नहीं कर दी हो।

भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि-जबकि 1986 के अधिनियम के तहत, जब तक कि राशि का 50 प्रतिशत या 50 हजार, जो भी कम हो, जमा नहीं किया जाता है, अपील पर विचार नहीं किया जाता है-अधिनियम का निरसन अधिनियम के तहत अर्जित या उपार्जित किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करता है।

ऐसे अधिकार के संबंध में किसी भी कानूनी कार्यवाही को निरस्त या प्रभावित करता है जब एल. आई. एस. शुरू होता है, तो सभी अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं और किसी भी अधिकार पर कोई रोक नहीं होती है।

संभावित अपील तब तक की जा सकती है जब तक कि कानून स्पष्ट या निहित निहितार्थ नहीं बनाता है-इसलिए, दी गई राशि के 50 प्रतिशत की भारी शर्त पूर्व में दायर शिकायतों पर लागू नहीं होगी।

2019 अधिनियम का प्रारंभ-सामान्य खंड अधिनियम, 1897 - एस. 6.

गरिकापति वीराया बनाम। एन. सुब्बैया चौधरी और अन्य।

हुसैन कसम दादा (इंडिया) लिमिटेड बनाम। मध्य राज्य प्रदेश और ओआरएस। ए. आई. आर 1953 एस. सी 221: [1953] एससीआर 987 -

पर भरोसा किया।

2 एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नोगेंद्र नाथ बोस बनाम। मोन मोहन सिंघा रॉय और अन्य। ए. आई. आर. 1931 कैल. 100 ; बॉम्बे राज्य बनाम। एम/एस। सर्वोच्च

जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड और ए. एन. आर. ए. आई. आर 1960 एस. सी. 980: [1960] एससीआर 640; विट्ठलभाई नारनभाई पटेल बनाम। बिक्री कर आयुक्त, एम. पी., नागपुर ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 344; एम/एस। हरदेवदास जगन्नाथ बनाम। असम राज्य और अन्य। आकाशवाणी 1970 एससी 724: [1969] एस. सी. आर. 261; के. रवींद्रनाथन नायर और अन्र। वी. के आयुक्त

आयकर और अन्य। (2017) 9 एससीसी 355: [2017] 11 एस. सी. आर. 389; अनंत मिल्स कं. लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य और अन्य। (1975) 2 एससीसी 175: [1975] 3 एससीआर 220; गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कं. लिमिटेड बनाम। नगर निगम

अहमदाबाद शहर और अन्य। (1999) 4 एससीसी 468: [1999] 2 एस. सी. आर. 895; रमेश सिंह और अन्र। वी. सिंटा देवी और ओआरएस। (1996) 3 एस. सी. सी. 142: [1996] 2 एससीआर 1036; मेसर्स गुरचरण सिंह बलदेव सिंह यशवंत सिंह और अन्य।

(1992) 1 एस. सी. सी. 428 [1991] 2 पूरक। एससीआर 305;

तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ और अन्य। (2011) 6 एससीसी 739: [2011] 4 एससीआर 838; न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 1044; टेक्रीमोंट प्रा. लि. लिमिटेड वी. पंजाब राज्य और अन्य। 2019 एस. सी. सी. ऑन लाइन एससी 1228; श्री सत्य नंद झा बनाम। भारत संघ और अन्य। 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन झार 23 एम/एस. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम। उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण, सी. टी. सी. और अन्य। 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन ओ. आर. आई. 353; मनोहर अवसंरचना और निर्माण

प्राइवेट लिमिटेड v. संजीव कुमार शर्मा और अन्य। अन्य के साथ 2021 की सिविल अपील संख्या 7098। तय किया कि

7.12.2021 ; नीना अनेजा और अन्र। वी. जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 225; नया भारत आश्वासन कंपनी लिमिटेड बनाम। श्रीमती. शांति मिश्रा (1975) 2 एस. सी. सी. 840 [1976] 2 एस. सी. आर. 266; वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2015) 4 एस. सी. सी. 33 [2015] 3 एस. सी. आर. 1; मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर और अन्य। वी. अम्रिया जुराना परेरा पिंटो और अन्य। (1979) 1 एस. सी. सी. 92; हरिहर पॉलीफाइबर बनाम। क्षेत्रीय निदेशक, ईएसआई निगम (1984) 4 एससीसी 324: [1985] 1 एस. सी. आर. 712; स्प्रिंग मीडोज अस्पताल और ए. एन. आर. वी. हरजोल अहलूवालिया और अन्र। (1998) 4 एससीसी 39:

[1998] 2 एससीआर ईसीजीसी लिमिटेड v. मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

428 ; किशोर लाल बनाम। अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। (2007) 4 एससीसी 579: [2007]

6 एससीआर 139; के. एच. नजर बनाम मैथ्यू के. जैकब और ओआरएस। (2020) 14 एससीसी 126: [2019] 14 एस. सी. आर. 928; 29 एम/एस।

ड्रीम कैसल एंड एन. आर. वी. भारत संघ और अन्य। डब्ल्यू. पी. नं.

13431 2015 आदि का निर्णय 18.4.2016-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

[1953] एससीआर 987

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[1957] एससीआर 488

पीछा किया।

पैरा 10

[1960] एससीआर 640

पैरा 11

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

आकाशवाणी 1967 एस. सी. 344

संदर्भित किया गया है

[1969] एससीआर 261

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2017] 11 एससीआर 389

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

[1975] 3 एससीआर 220

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1999] 2 एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

[1996] 2 एससीआर 1036

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[1991] 2 पूरक। एससीआर 305

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

[2011] 4 एससीआर 838

पैरा 18

संदर्भित किया गया है

[1976] 2 एससीआर 266

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

[2015] 3 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

(1979) 1 एस. सी. सी 92

संदर्भित किया गया है

पैरा 28

[1985] 1 एससीआर 712

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[1998] 2 एससीआर 428

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

[2007] 6 एससीआर 139

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

[2019] 14 एससीआर 928

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 20 का आई. ए. No.99210

2021 की सिविल अपील संख्या 1842 में।

राष्ट्रीयता के 27.01.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली 2018 की कॉन्सू शिकायत No.2778 में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के. के. वेणुगोपाल, ए. जी., राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , नवल शर्मा, साकेत सतपथी, रोहन बत्रा, सुश्री सोनाली मलिक, चिन्मायी प्रसाद, हर्षवर्धन अरोड़ा, ध्रुव सेठी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

निदेश गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , देवेश त्रिपाठी, फराज अनीस, मुकेशवरनाथ दुबे, सुश्री जनप्रीत कौर, सुश्री वृति गुजराल, माधव गुप्ता, सुश्री पायल स्वरूप, सुश्री पूजा शर्मा, सुश्री मीरा हसन, प्रवीण स्वरूप, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

1. वर्तमान अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ निर्देशित है जिसके तहत इसमें अपीलार्थी को रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 265.01 तीन महीने की अवधि के भीतर 19.9.2016 से 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ करोड़। उक्त राशि जमा करने में विफल रहने की स्थिति में, दी गई राशि पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लगेगा। अपीलार्थी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार अपील पर विचार करने के लिए एक आवेदन (2021 का आई. ए. सं. 99210) दायर किया है। यह उक्त आवेदन है जो वर्तमान आदेश द्वारा तय किया जा रहा है।

2. शिकायतकर्ता को निर्माण का ठेका दिया गया था

20193 या पूर्ववर्ती 1986 अधिनियम के तहत। 1 राष्ट्रीय आयोग 2 संक्षेप में, '1986 अधिनियम' 3 संक्षेप में, '2019 अधिनियम' ई. सी. जी. सी. लिमिटेड v.

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

4. 2019 अधिनियम की धारा 67 के संदर्भ में, इसके खिलाफ कोई अपील नहीं

राष्ट्रीय आयोग के आदेश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा तब तक विचार किया जाएगा जब तक कि व्यक्ति ने भुगतान करने के लिए आवश्यक राशि का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया हो। जबकि, 1986 के अधिनियम के तहत, 2002 के केंद्रीय अधिनियम 62 के माध्यम से अंतःस्थापित एक परंतुक के आधार पर, शर्त यह थी कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि वह व्यक्ति जिसे राशि का पचास प्रतिशत या पचास हजार, जो भी कम हो, जमा नहीं करता है। दोनों प्रावधान इस प्रकार हैं:

1986 अधिनियम

2019 अधिनियम

23. XX

बशर्ते कि एक द्वारा कोई अपील नहीं

वह व्यक्ति जिसे कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता है

एक आदेश के संदर्भ में राशि

राष्ट्रीय आयोग होगा

उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोरंजन किया गया

जब तक कि उस व्यक्ति ने जमा नहीं किया है

67. XX

बशर्ते कि एक द्वारा कोई अपील नहीं

वह व्यक्ति जिसे कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता है

एक आदेश के संदर्भ में राशि

राष्ट्रीय आयोग होगा

उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोरंजन किया गया

जब तक कि उस व्यक्ति ने पचास जमा नहीं किए हों

निर्धारित तरीके से उसका पचास प्रतिशत

उस राशि का प्रतिशत इस तरह से

निर्धारित किया जा सकता है।

राशि या पचास हजार रुपये, जो भी कम हो।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान महान्यायवादी ने प्रस्तुत किया

कि अपील को 1986 अधिनियम की धारा 23 के तहत प्राथमिकता दी गई है न कि 2019 अधिनियम के तहत जो 20.7.2020 से लागू हुआ था। यह कहा गया था कि राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की शर्त 1986 के अधिनियम के तहत प्रदान की गई शर्त से अधिक कठिन है। इसलिए, इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि एल. आई. एस. की शुरुआत के समय लागू होने वाला कानून लागू होगा, 1986 अधिनियम के प्रावधान वर्तमान अपील को नियंत्रित करेंगे न कि 2019 अधिनियम के प्रावधानों को। अपीलार्थी ने 1986 के अधिनियम के तहत अपील के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए 1986 के अधिनियम की धारा 23 के दूसरे परंतुक के संदर्भ में मांग मसौदे के माध्यम से 50,000 रुपये जमा किए हैं। अतः वर्तमान अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जानी चाहिए।

6. विद्वान महान्यायवादी ने अन्य बातों के साथ तर्क दिया कि धारा

2019 के अधिनियम को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः 4 संक्षेप में, 'सामान्य खंड अधिनियम' [2022] 2 एस. सी. आर.

" सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 6. निरसन का प्रभाव। - जहां यह अधिनियम, या कोई केंद्रीय अधिनियम या

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद बनाया गया विनियमन, निरसित करता है

अब तक या इसके बाद किया जाने वाला कोई अधिनियम, तब, जब तक कि एक अलग इरादा दिखाई देता है, निरसन नहीं होगा

निरसन प्रभावी होता है; या ((ख) इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन को प्रभावित करता है या

इसके तहत विधिवत किया गया या पीड़ित कुछ भी; या

(ग) अर्जित किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करता है।

या इस प्रकार निरसित किसी अधिनियम के अधीन उपगत किया गया हो; या

(ई) संबंध में किसी भी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपचार को प्रभावित करता है। ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, ज़ब्त

या जैसा कि ऊपर कहा गया है सजा;

या दंड इस प्रकार लगाया जा सकता है जैसे कि निरसन अधिनियम या विनियमन पारित नहीं किया गया था।

XX

XX

X

X

2019 अधिनियम की धारा 107

107. (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) इस तरह के निरसन के बावजूद, कुछ भी किया गया या कोई कार्रवाई की गई या इसके द्वारा अधिनियम के तहत किया गया या लिया गया है

निरसित किया जाएगा, जहाँ तक कि यह प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है

इस अधिनियम के तहत किया गया या लिया गया माना जाएगा

इस अधिनियम के संबंधित प्रावधान।

(3) उप-धारा (2) में विशेष मामलों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या प्रभावित करना।

के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, 1897

निरस्त करें "।

7. 2019 अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (2) का संरक्षण करता है -

1986 के अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई ई. सी. जी. सी. लिमिटेड v नहीं है।

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

2019 अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत। ऐसी कार्रवाइयों को 2019 अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के अनुसार किया गया माना जाएगा। उप-धारा (3) में विचार किया गया है कि उप-धारा (2) के विशेष मामले निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे या प्रभावित नहीं करेंगे। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के खंड (सी) का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया था कि जब तक कोई अलग इरादा प्रकट नहीं होता है, तब तक निरसन किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, जुर्माना, ज़ब्त या सजा का जो इस तरह लगाया जा सकता है जैसे कि निरसन अधिनियम या नियम पारित नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि अधिनियम का निरसन इस प्रकार निरस्त अधिनियम के तहत अर्जित या अर्जित किसी भी अधिकार को प्रभावित नहीं करता है या ऐसे अधिकार के संबंध में किसी भी कानूनी कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता है। इस तरह के प्रभाव का अर्थ केवल तभी लगाया जाना था जब निरस्तीकरण क़ानून से एक अलग इरादा दिखाई देता है। इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि 1986 के अधिनियम के तहत अपील दायर करने का अधिकार सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 (सी) के संदर्भ में अपीलार्थी के पक्ष में अर्जित हुआ है और यह कि निरसन अधिनियम से कोई अलग इरादा स्पष्ट नहीं है।

8. उपरोक्त तर्कों का समर्थन करने के लिए, विद्वान महान्यायवादी

उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के खंड पीठ के फैसले पर भरोसा किया है, जिसे नोगेंद्र नाथ बोस बनाम के रूप में रिपोर्ट किया गया है। मोन मोहन सिंघा रॉय और Ors.³ जिसे इस न्यायालय द्वारा हुसिन कसम दादा (इंडिया) लिमिटेड के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में अनुमोदित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य & Ors.6 हुसैन कसम दादा मामले में, माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. आर. दास, पीठ की ओर से माननीय न्यायमूर्ति श्री एम. सी. महाजन के साथ केंद्रीय प्रांत और बरार बिक्री कर (दूसरा संशोधन) अधिनियम (1949 का अधिनियम 57) द्वारा केंद्रीय प्रांत और बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947 में संशोधन के परिणामस्वरूप एक मामले की जांच कर रहे थे। जैसा कि अधिनियमित संशोधन से पहले 1947 के अधिनियम की धारा 22 (1) के परंतुक में प्रावधान किया गया था कि निर्धारण के आदेश के खिलाफ किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि यह संतुष्ट नहीं हो जाता कि कर या जुर्माना या दोनों की ऐसी राशि जो अपीलकर्ता स्वीकार कर सकता है कि उसे भुगतान कर दिया गया है। संशोधन अधिनियम में विचार किया गया कि किसी भी अपील पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि

एक अपील के साथ भुगतान का एक संतोषजनक प्रमाण होता है

5 ए. आई. आर. 1931 कैल. 100 6 आकाशवाणी 1953 एससी 221 [2022] 2 एस. सी. आर.

दंड सहित कर, यदि कोई हो, जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए, कर और जुर्माने के भुगतान की तुलना में निर्धारिती द्वारा देय राशि में से अपील को प्राथमिकता देने की शर्त में बदलाव किया गया था, जिसके संबंध में अपील को प्राथमिकता दी गई है।

9. यह उल्लेख करना प्रासंगिक हो सकता है कि न्यायालय ने राज्य के विद्वान वकील के इस तर्क पर भी ध्यान दिया कि जब तक वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया जाता है, तब तक कोई अधिकार नहीं हो सकता है और इसलिए, उस तारीख से पहले अपील का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। न्यायालय ने कहा कि जब निर्धारिती रिटर्न दाखिल करता है, तो एल. आई. एस. तुरंत उत्पन्न नहीं हो सकता है। प्राधिकरण वापसी का आकलन कर सकता है। 1947 के अधिनियम की धारा 11 के तहत, लेकिन यदि प्राधिकरण वापसी की शुद्धता के बारे में संतुष्ट नहीं है और साक्ष्य की मांग करता है, तो एक विवाद उत्पन्न होता है। उपरोक्त मामले में, बिक्री कर विवरणी 28.11.1947 पर दाखिल की गई थी और सहायक बिक्री कर आयुक्त द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था।

25.1.1949 अर्थात् संशोधन से पहले। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 8. उपरोक्त निर्णय काफी दृढ़ता से स्थापित करते हैं और जनार्दन रेड्डी बनाम में हमारे निर्णय। राज्य [(1950) एससीआर 941] और गणपत राय बनाम। अग्रवाल चैंबर ऑफ कॉमर्स लिमिटेड [(1952) एससीजे 564] इस सिद्धांत को बरकरार रखता है कि अपील का अधिकार केवल प्रक्रिया का मामला नहीं है। यह मौलिक अधिकार का मामला है। एक निम्न न्यायाधिकरण के निर्णय से एक उच्च न्यायाधिकरण में अपील करने का यह अधिकार

अपील का मौजूदा अधिकार केवल प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं है। इस तरह के निहित अधिकार को व्यक्त किए बिना नहीं खोया जा सकता है। अधिनियमन या आवश्यक इरादा। इस तरह के निहित अधिकार में हस्तक्षेप करने या उसे बाधित करने या खतरे में डालने के इरादे की कल्पना तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि इस तरह के इरादे को स्पष्ट शब्दों या शब्दों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं किया जाता है।

आवश्यक प्रभाव।

9. ..... हमारे विचार में उपरोक्त अवलोकन उपयुक्त है और हमारे समक्ष मामले पर लागू होता है। ऊपर उल्लिखित अन्य मामलों में निर्णयों के रूप में उपरोक्त अवलोकन का सही निहितार्थ यह है कि अपील का पूर्व-विद्यमान अधिकार संशोधन द्वारा नष्ट नहीं होता है यदि संशोधन को स्पष्ट शब्दों द्वारा पूर्वव्यापी नहीं किया जाता है या

आवश्यक इरादा। तथ्य यह है कि अपील का पूर्व-विद्यमान अधिकार मौजूद है, इसके बदले में, आवश्यक रूप से यह संकेत देना चाहिए कि पुरानी कानून जिसने अपील का अधिकार पैदा किया है, उसे भी ईसीजीसी लिमिटेड v का समर्थन करने के लिए मौजूद होना चाहिए।

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

उस अधिकार की निरंतरता। चूंकि पुराना कानून अपील के पूर्व-विद्यमान अधिकार का समर्थन करने के उद्देश्य से मौजूद है कि पुराने कानून को अपील के उस अधिकार के प्रयोग और प्रवर्तन को नियंत्रित करना चाहिए और तब उस अधिकार के प्रयोग को रोकने वाले संशोधित प्रावधान का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। तर्क यह है कि

प्राधिकरण के पास अपील को स्वीकार करने का कोई विकल्प या अधिकार क्षेत्र नहीं है जब तक कि यह अधिनियम की धारा 22 (1) के संशोधित परंतुक द्वारा आवश्यक मूल्यांकन कर की जमा राशि के साथ न हो।

पूर्व-विद्यमान अधिकार और वास्तव में प्रश्न भीख माँगने के बराबर है। ऐसी स्थिति में नया प्रावधान पूरी तरह से लागू नहीं होता है और

प्राधिकरण की अधिकारिता का प्रयोग पुराने कानून के तहत किया जाना चाहिए जो अभी भी मौजूद है। श्री गणपति अय्यर का तर्क

अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

10. अंत में, श्री गणपति अय्यर धीरे-धीरे आग्रह करते हैं कि जब तक वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो जाता, तब तक कोई "लीस" नहीं हो सकता है और इसलिए, उस घटना से पहले अपील का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। इस दलील के दो जवाब हैं। जब भी किसी एक पक्ष और विपक्ष द्वारा कोई प्रस्ताव दिया जाता है

एक अन्य "लिस" द्वारा वह प्रस्ताव उत्पन्न होता है। यह स्वीकार किया जा सकता है, हालांकि यह तय नहीं किया जा सकता है कि जब निर्धारिती अपनी विवरणी दाखिल करता है तो एक "एल. आई. एस". तुरंत उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि धारा 11 (1) के तहत प्राधिकरण विवरणी को सही और पूर्ण के रूप में स्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर

प्राधिकरण वापसी की शुद्धता के बारे में संतुष्ट नहीं है और साक्ष्य की मांग करता है, निश्चित रूप से एक विवाद उत्पन्न होता है जिसमें

निर्धारिती द्वारा प्रस्ताव और राज्य द्वारा विपक्ष। यह परिस्थिति कि विवाद उठाने वाला प्राधिकारी स्वयं न्यायाधीश है, कोई फर्क नहीं डाल सकता है, क्योंकि प्राधिकरण राज्य के हित में विवाद उठाता है और इस तरह कार्य करने में केवल राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। ऊपर दी गई तिथियों से यह प्रतीत होगा कि इस मामले में ऊपर बताए गए अर्थ में "लिस" धारा के संशोधन की तारीख से पहले उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा, भले ही "एल. आई. एस". को केवल मूल्यांकन की तारीख को उत्पन्न होने के रूप में लिया जाना है, इस तरह के "एल. आई. एस". के उत्पन्न होने की संभावना थी जैसे ही रिटर्न दाखिल करने के साथ कार्यवाही शुरू हुई या किसी भी दर पर, जब प्राधिकरण ने साक्ष्य के लिए बुलाया और सुनवाई और अपील का अधिकार शुरू किया। यह माना जाना चाहिए कि उन तिथियों पर भी अस्तित्व में था। अपील के अधिकार के संचय के प्रयोजनों के लिए महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तिथि कार्यवाही शुरू करने की तारीख है न कि स्वयं निर्णय। "[2022] 2 एस. सी. आर.

10. तत्पश्चात, संविधान पीठ ने एक निर्णय में गरिकापति वीराया बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। एन. सुब्बैया चौधरी और अन्य। ' मंजूरी मिल गई।

हुसैन कसम दादा में निर्णय, हालांकि यह मुद्दा भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत संघीय न्यायालय में अपील करने के अधिकार के संबंध में था। तर्क यह था कि अपीलार्थी को अपील दायर करने का अधिकार था क्योंकि मुकदमा, जिसमें से इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही उत्पन्न हुई थी, 22.4.1949 पर दायर किया गया था। इसलिए, उन्होंने संघीय न्यायालय में अपील करने का एक निहित अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिसे बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

अदालत। यह उक्त तर्क था जिसे संविधान पीठ ने स्वीकार कर लिया था जब निम्नलिखित सिद्धांतों को चित्रित किया गया थाः

(i) कि किसी उपचार, वाद, अपील और दूसरी अपील की कानूनी खोज वास्तव में एक आंतरिक एकता से जुड़ी कार्यवाही की एक श्रृंखला में कदम हैं और इन्हें एक कानूनी कार्यवाही के रूप में माना जाना चाहिए। ((ii) अपील
का अधिकार केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक अधिकार है।

((ग) वाद की संस्था अपने साथ यह निहितार्थ रखती है कि उस समय लागू अपील के सभी अधिकार वाद के शेष कार्यकाल तक पक्षकारों के लिए संरक्षित हैं।

((iv) अपील का अधिकार एक निहित अधिकार है और उच्चतर न्यायालय में प्रवेश करने का ऐसा अधिकार वादी को प्राप्त होता है और यह कानून लागू होने की तारीख से मौजूद है और हालांकि यह वास्तव में हो सकता है

प्रयोग किया जाता है जब प्रतिकूल निर्णय घोषित किया जाता है तो इस तरह के अधिकार को संस्था की तारीख में प्रचलित कानून द्वारा शासित किया जाना है।

(v) अपील के इस निहित अधिकार को केवल बाद के अधिनियम द्वारा छीन लिया जा सकता है, यदि यह स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से प्रदान करता है। इरादा और अन्यथा नहीं।

24. हमारे समक्ष मामले में मुकदमा 22 अप्रैल, 1949 को शुरू किया गया था, और उस तारीख को पक्षकारों में निहित अपील के अधिकार के ऊपर निर्दिष्ट निर्णयों द्वारा स्थापित सिद्धांत पर और कानून द्वारा शासित किया जाना है जैसा कि उस तारीख को प्रचलित था, यानी उस तारीख को पक्षकारों ने अधिकार प्राप्त किया, यदि असफल रहे,

' ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 540 ई. सी. जी. सी. लिमिटेड बनाम।

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

उप-न्यायालय से उच्च न्यायालय में अपील करें और

संघीय न्यायालय के तहत संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय (अधिकारिता का विस्तार) अधिनियम, 1947 के खंड 39 के साथ पठित

लेटर्स पेटेंट और सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 और 110 में प्रावधान किया गया है कि उनकी शर्तों को पूरा किया जाए। हमारे विचार के लिए सवाल यह है कि क्या उस अधिकार को स्पष्ट रूप से या किसी बाद के अधिनियम द्वारा आवश्यक इरादे से छीन लिया गया है। आवेदन के प्रतिवादियों का कहना है कि इसे हमारे संविधान के प्रावधानों द्वारा इस तरह छीन लिया गया है।

11. बॉम्बे राज्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले में। एम/एस। सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड और Anr.³, तर्क

जो विचार के लिए उत्पन्न हुआ वह यह था कि अपील के ज्ञापन पर देय न्यायालय शुल्क मुकदमा दायर करने की तारीख के अनुसार होगा, न कि 1954 के बॉम्बे अधिनियम 12 द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 में संशोधन के अनुसार। इस प्रकार अपील के ज्ञापन पर न्यायालय शुल्क देय माना गया जैसा कि अधिनियम के संशोधन से पहले लागू था। यह

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 12. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इसके द्वारा अनुमोदित निर्णयों की एक लंबी कतार में

न्यायालय और कम से कम इस न्यायालय द्वारा दिए गए एक मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपील के अधिकार पर एक नया प्रतिबंध लगाकर या अधिक कठिन शर्त लागू करके हानि पहुँचाना केवल प्रक्रिया का विषय नहीं है; यह एक मूल अधिकार को बाधित या बाधित करता है और

ऐसा करने वाला अधिनियम पूर्वव्यापी नहीं है जब तक कि वह ऐसा न कहे

स्पष्ट रूप से या आवश्यक इरादे से।

12. विट्ठलभाई नारनभाई पटेल बनाम में संविधान पीठ। बिक्री कर आयुक्त, एम. पी., नागपुर 'एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे थे जिसमें बिक्री कर विवरणी दाखिल करने की तारीख का खुलासा नहीं किया गया था। विवरणी दाखिल करने की तिथि के अभाव में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 9. हूसिन कासम दादा के मामले में निर्णय, 1953 एस. सी. आर. 987: (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 221), इस आधार पर आगे बढ़े कि जब एक आई. एस. शुरू होता है, तो सभी अधिकार स्पष्ट हो जाते हैं और संभावित अपील पर कोई बाधा नहीं डाली जा सकती है, जब तक कि कानून को पूर्वव्यापी, स्पष्ट रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा नहीं बनाया गया हो। इस मामले के अभिलेख से हम यह नहीं कह सकते कि यह कब शुरू हुआ, और जब तक कि यह निर्णायक रूप से साबित नहीं किया जा सकता है कि यह कानून के संशोधन से पहले था,

8 ए. आई. आर 1960 एस. सी. 980 9 ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 344 [2022] 2 एस. सी. आर.

हुसैन कासम दादा के मामले में नियम, 1953 एस. सी. आर. 987: (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 221), आवेदन नहीं कर सकते। ऐसा कोई दावा नहीं है कि

अपील निहित थी, और गलत तरीके से वापस ले ली गई है।

13. इस न्यायालय के एक अन्य संविधान पीठ के फैसले में मेसर्स के रूप में रिपोर्ट किया गया है। हरदेवदास जगन्नाथ बनाम। असम राज्य और अन्य। 1 0 पिछले किसी भी निर्णय का उल्लेख नहीं किया गया था और इस प्रकार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इसने पहले की तुलना में कुछ अलग दृष्टिकोण अपनाया था।

पूर्ववर्ती संविधान पीठ के निर्णयों में अभिनिर्धारित। लेकिन अगर बारीकी से जांच की जाए, तो उक्त निर्णय कोई विपरीत दृष्टिकोण नहीं ले रहा है और इस न्यायालय के पहले के फैसलों के अनुरूप है। यह मुद्दा असम बिक्री कर अधिनियम, 1947 में दिनांकित 1.4.1958 संशोधन के बारे में था जिसमें जमा करने की आवश्यकता थी

अपील दायर करने की शर्त के रूप में कर और जुर्माने का निर्धारण किया गया। निर्धारिती ने क्रमशः 30.9.1956,31.3.1957 और 30.9.1957 पर समाप्त होने वाली अवधि के लिए अर्धवार्षिक विवरणी दाखिल की थी। निर्धारिती का परिसर था

6.3.1959 पर तलाशी ली गई और लेखा पुस्तकें आदि जब्त कर ली गईं। असम बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 19ए के तहत 4.4.1959 पर पुनर्मूल्यांकन के लिए एक नोटिस जारी किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

" 9. यह तर्क दिया गया कि यह संशोधन 1 अप्रैल, 1958 से लागू हुआ और इसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता है ताकि सितंबर को समाप्त होने वाली मूल्यांकन अवधि पर लागू हो सके। 30 , 1956 , 31 मार्च, 1957 और 30 सितंबर, 1957। हम इस तर्क को सही के रूप में स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि मूल्यांकन के लिए

ये तीन अवधियाँ संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद यानी 1 अप्रैल, 1958 के बाद पूरी हुईं। संशोधन के बाद मूल्यांकन के खिलाफ अपील भी दायर की गई थी। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है और इसलिए सहायक कर आयुक्त ने अपीलकर्ता को अपीलों पर विचार करने से पहले अधिनियम की संशोधित धारा 30 के प्रावधानों का पालन करने के लिए कहना सही था।

14. चूंकि रिटर्न संशोधन से पहले दाखिल किए गए थे, लेकिन संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद पुनर्मूल्यांकन के लिए नोटिस जारी किया गया था।

इसलिए, हुसैन कसम दादा को ध्यान में रखते हुए, केवल संशोधन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे और यही इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

10 ए. आई. आर. 1970 एस. सी. 724 ई. सी. जी. सी. लिमिटेड बनाम

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

15. के. रवींद्रनाथन नायर और अन्न के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में।

वी. आयकर आयुक्त और अन्य "। , यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय शुल्क का भुगतान करने के लिए प्रासंगिक तिथि वह होगी जब कार्यवाही सबसे निचली अदालत में शुरू की गई थी न कि जब अपील को प्राथमिकता दी गई थी। केरल न्यायालय शुल्क और वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1959 में संशोधन को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष।

16. अनंत मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। गुजरात राज्य और इस न्यायालय की चार न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि चूंकि अपील पर विचार करने वाले प्राधिकरण के पास संपत्ति कर की राशि जमा करने की आवश्यकता के अनुपालन को समाप्त करने का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए यह कठिन नहीं है क्योंकि विवेकाधिकार अपीलीय अदालत में निहित था। एक अन्य निर्णय में गुजरात एग्रो इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम शहर का नगर निगम

अहमदाबाद और Ors.13, अनंत मिल्स में फैसले का पालन किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत दायर किए गए दावा आवेदनों पर 25 हजार रुपये या राशि का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, जमा करने पर विचार करने वाला अधिनियम, 1988 लागू नहीं होगा। मैसर्स गुरचरण सिंह बलदेव सिंह बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इस न्यायालय की एक अन्य पीठ का भी यही विचार है। यशवंत सिंह और Ors.¹5 जिसमें मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत प्रदत्त अपील के अधिकार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा ऐसे अधिनियम को निरस्त करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता है।

18. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री निधेश गुप्ता ने कहा कि संशोधन प्रक्रियात्मक प्रकृति का है और इस प्रकार हमेशा पूर्वव्यापी। रिलायंस को तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड बनाम पर रखा गया था। भारत संघ & Ors.¹. यह माना गया कि प्रक्रिया में अपील दायर करने का तरीका और रूप, जमा करने से पहले और सीमा शामिल है। अपील का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है जिसे कानून के स्पष्ट प्रावधान द्वारा छीन लिया जा सकता है, इसलिए, जिन शर्तों पर अपील की जाएगी, वे भी विधायी क्षमता के भीतर हैं।

(2017) 9 एस. सी. सी. 355 12 (1975) 2 एस. सी. सी. 175 13 (1999) 4 एस. सी. सी. 468 14 (1996) 3 एस. सी. सी. 142 15 (1992) 1 एस. सी. सी. 428 16 (2011) 6 एस. सी. सी. 739 [2022] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. हम पाते हैं कि तिरुमलाई केमिकल्स लिमिटेड पर निर्भरता सही नहीं हो सकती है क्योंकि इस अदालत ने कहा कि फेमा की धारा 49 उन मामलों में अपील के निहित अधिकार को वापस लेने या छीनने का प्रयास नहीं करती है जहां 01.06.2000 पर FERA को निरस्त करने से पहले कार्यवाही शुरू की गई थी या इसके बाद। उक्त निर्णय में वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नए अधिनियम में दिए गए विलंब को माफ करने का उदार प्रावधान लागू होगा। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 28. उपरोक्त चर्चा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करेगी कि एफ. ई. एम. ए. की धारा 49 उन मामलों में अपील के निहित अधिकार को वापस लेने या छीनने का प्रयास नहीं करती है जहां एफ. ई. आर. ए. को निरस्त करने से पहले या उसके बाद कार्यवाही शुरू की गई थी। फेमा की धारा 49 और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के संयुक्त अध्ययन पर, यह स्पष्ट है कि फेमा द्वारा निर्धारित प्रक्रिया केवल फेमा के तहत दायर अपील के संबंध में लागू होगी, हालांकि कार्रवाई का कारण फेमा के तहत उत्पन्न हुआ था। वास्तव में, एफ. ई. आर. ए. के तहत निर्धारित समय सीमा को धारा 19 की उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत हटा दिया गया था और न्यायाधिकरण को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं - यदि निर्धारित पैंतालीस दिनों के भीतर अपील दायर नहीं की जाती है, तो देरी को माफ कर दें, बशर्ते कि पर्याप्त कारण दिखाया गया हो। इसलिए, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष कि न्यायाधिकरण के पास एफ. ई. आर. ए. के तहत निर्धारित तिथि से आगे की देरी को माफ करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, की सही समझ नहीं है।

विषय पर कानून।

29. इसलिए हम मानते हैं कि अपीलीय न्यायाधिकरण 45 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद अपील पर विचार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि उक्त अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने का पर्याप्त कारण था। इसलिए हम पारित आदेशों को दरकिनार करने के लिए इच्छुक हैं

न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा और कानून के अनुसार नए सिरे से विचार के लिए मामले को न्यायाधिकरण को वापस भेजें

हमारे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का आधार।

20. श्री गुप्ता ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का भी उल्लेख किया

इस न्यायालय ने न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट के रूप में रिपोर्ट की। लिमिटेड वी. उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य "। जिसमें अचल संपत्ति (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत अपील दायर करते समय पूर्व-जमा करना आवश्यक था। उक्त निर्णय तब तक लागू नहीं होता है जब तक कि

कानून को तैयार करते हुए, धारा 43 (5) में पूर्व-जमा पर विचार करना इसका हिस्सा था 172021 एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 1044 ई. सी. जी. सी. लिमिटेड बनाम

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

प्रारंभ में अधिनियमित प्रावधान। इसी तरह, एक अन्य फैसले को टेक्रीमोंट प्राइवेट के रूप में रिपोर्ट किया गया। लिमिटेड वी. पंजाब राज्य पूर्व-जमा पर अपील के अधिकार के संबंध में भी है जो मूल रूप से पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम में अधिनियमित किया गया था।

21. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने भी भरोसा किया है

श्री सत्य नंद झा बनाम में खंड पीठ के निर्णय। भारत संघ & Ors.[1] और मेसर्स. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन बनाम। उड़ीसा बिक्री कर न्यायाधिकरण, सीटीसी और Ors.20। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में उड़ीसा उच्च न्यायालय वास्तव में विपरीत प्रस्ताव पर विचार कर रहा था जिसमें

कर की जमा राशि का 50 प्रतिशत पूर्व जमा करने की शर्त को हटा दिया गया था। संशोधन के बाद जमा राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के लिए राज्य द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती देने के लिए निर्धारिती द्वारा रिट याचिका दायर की गई थी। डिवीजन बेंच ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 24. सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा कि अपील का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, लेकिन अपील का निर्णय कैसे किया जाना है, यह प्रक्रिया का विषय है। प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है न कि उसे हराना। प्रक्रियात्मक कानून का उद्देश्य मूल न्याय के मार्ग को सुगम बनाना और बाधित करना नहीं है। (हुसिन कसम दादा (इंडिया) लिमिटेड बनाम। एम. पी. राज्य, ए. आई. आर. 1953 एससी

25. तत्काल मामले में, चूंकि अपील पर विचार करने के लिए पूर्व-जमा शर्त का प्रावधान एक प्रक्रियात्मक मामला होने के कारण अपील पर विचार करने से पहले हटा दिया गया है, इसलिए संशोधन पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। तत्काल मामला चौकोर रूप से कवर किया गया है लक्ष्मी रतन में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय

इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड (ऊपर) "।

22. झारखंड का उच्च न्यायालय श्री सत्य नंद झा मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 में वित्त अधिनियम, 2014 की धारा 105 द्वारा किए गए संशोधन पर विचार कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि 7.5 प्रतिशत या

18 2019 एस. सी. सी. ऑन लाइन एस. सी. 1228 19 2016 एस. सी. सी. ऑन लाइन झार 2323 20 2009 एस. सी. सी. ऑन लाइन ओरि 353 [2022] 2 एस. सी. आर.

10 % शुल्क की मांग या लगाया गया जुर्माना जमा किया जाना है। उक्त मामले में, पूर्व-संशोधित प्रावधान यह था कि यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि मांगे गए शुल्क की जमा राशि या लगाए गए जुर्माने से अनुचित कठिनाई होगी, तो पूर्व-जमा की शर्त को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन संशोधन के बाद, निर्धारित शुल्क का 7 प्रतिशत और लगाए गए जुर्माने का 10 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि दूसरे परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित धारा 35 के प्रावधान वित्त अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से पहले किसी भी अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष लंबित स्थगन आवेदनों और अपीलों पर लागू नहीं होंगे। इसलिए, उक्त मामले में उत्पन्न होने वाला मुद्दा पूर्व-जमा की वैधता और वैधता का था, न कि उक्त प्रावधान की पूर्वव्यापीता का।

23. श्री गुप्ता ने मनोहर इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

संजीव कुमार शर्मा और Ors.2¹ जिसमें विवाद यह था कि एन. सी. डी. आर. सी. ने पूरी डिक्रिटल राशि जमा करने के अधीन रोक लगा दी थी। 2019 के अधिनियम की धारा 51 की पूर्वव्यापीता के लिए कोई तर्क नहीं उठाया गया था या निर्णय नहीं लिया गया था, लेकिन सवाल यह उठाया गया था कि क्या एन. सी. डी. आर. सी. अपील लंबित रहने तक पूरी डिक्रिटल राशि की ऐसी जमा राशि का निर्देश दे सकता है, हालांकि क़ानून में विवादित राशि का 50 प्रतिशत पूर्व जमा करने का निर्देश दिया गया है।

24. यह तर्क दिया गया था कि उपभोक्ता संरक्षण कानून एक है

लाभकारी विधान, इसलिए, उपभोक्ता को लाभान्वित करने वाली व्याख्या को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नीना अनेजा और अन्न में अभिनिर्धारित किया गया है। वी. जय प्रकाश एसोसिएट्स Ltd.22।

25. यह ध्यान देने योग्य है कि नीना अनेजा के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि मंच का अधिकार अर्जित अधिकार नहीं है। सामान्य खंडों की धारा 6 (ई)

अधिनियम उपार्जित अधिकार के प्रवर्तन के लिए लंबित कानूनी कार्यवाही को निरसन के प्रभाव से बचाता है; इसका मतलब यह नहीं है कि किसी विशेष मंच पर कानूनी कार्यवाही को निरसन के प्रभाव से बचाया गया था। इस न्यायालय ने पाया कि निरस्तीकरण अधिनियम में कोई स्पष्ट इरादा नहीं था कि सभी लंबित मामले 2019 के तहत बनाए गए मंचों में स्थानांतरित हो जाएंगे। एक्ट करें। इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 78. उपरोक्त स्थिति को बताने के बाद, हमें इसे इस सिद्धांत के साथ सुसंगत बनाने की आवश्यकता है कि किसी मंच का अधिकार अर्जित नहीं है।

21 अन्य के साथ 2021 की सिविल अपील संख्या 7098। 7.12.2021 22 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 225 ई. सी. जी. सी. लिमिटेड v. पर निर्णय लिया गया।

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

निरसन के प्रभाव से अर्जित अधिकार के प्रवर्तन के लिए कानूनी कार्यवाही, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी विशेष मंच पर कानूनी कार्यवाही प्रभावों से बच जाती है। निरसन से। सवाल यह है कि क्या लंबित कानूनी

कार्यवाहियों को नए बनाए गए मंच पर स्थानांतरित करने की आवश्यकता है क्योंकि निरसन अभी भी बना रहेगा। जैसा कि चर्चा की गई है, यह न्यायालय न्यू इंडिया एस्योरेंस (ऊपर) और मारिया में

क्रिस्टीना (ऊपर) ने माना है कि मंच प्रक्रियात्मक कानून से संबंधित मामला है और इसलिए वादी को निरसन अधिनियम द्वारा बनाए गए मंच पर कानूनी कार्यवाही को आगे बढ़ाना होगा, जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो। यह सिद्धांत लंबित कार्यवाही पर भी लागू होगा, जैसा कि रमेश कुमार में देखा गया है।

सोनी (ऊपर), हितेंद्र कुमार ठाकुर (ऊपर) और सुधीर जी अंगुर (ऊपर)। इस पृष्ठभूमि में, जो पता लगाने के लिए प्रासंगिक है वह है

क्या पुराने मंच पर कार्यवाही जारी रखने के लिए 2019 के अधिनियम के तहत पूर्वव्यापीता के सामान्य नियम के विपरीत इरादा व्यक्त किया गया है।

79. अब, निरस्तीकरण में इरादे की अभिव्यक्ति पर विचार करते हुए

वर्तमान मामले में अधिनियम, यह स्पष्ट है कि कोई स्पष्ट भाषा नहीं है जो यह दर्शाती है कि सभी लंबित मामले स्थानांतरित हो जाएंगे

2019 के अधिनियम द्वारा बनाए गए मंचों को इसके नए लागू करके निर्धारित आर्थिक सीमाएँ। यह अनुमान लगाने में कि क्या कोई विपरीत इरादा है, विधायी योजना और प्रक्रियात्मक इतिहास विधायिका के इरादे में एक प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं।

XX

X

X

XX

84. ..... विधायिका को नए कानून द्वारा स्थापित मंचों के लिए स्थापित नई आर्थिक सीमाओं के अनुसार लंबित मामलों के हस्तांतरण के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करने में लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। चूक, जब वैधानिक योजना के खिलाफ संदर्भित किया जाता है, तो एक विपरीत इरादे को दर्शाता है

अधिनियम की धारा 107 (2) के माध्यम से लंबित कार्यवाही की रक्षा करना 2019. यह इरादा संभवतः प्रतीत होता है, विशेष रूप से एन. सी. डी. आर. सी. के पिछले निर्णयों के आलोक में, जिन्होंने संभावित प्रभाव के साथ आर्थिक अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाले संशोधनों की व्याख्या की थी। साउथफील्ड

पेंट्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में एन. सी. डी. आर. सी. लिमिटेड वी. न्यू इंडिया एस्योरेंस कं. लिमिटेड, 2000 का उपभोक्ता मामला संख्या 286 [2022] 2 एस. सी. आर.

(एन. सी. डी. आर. सी.) ने 2002 के अधिनियम 62 में संशोधन किया जिसके द्वारा अधिकार क्षेत्र की आर्थिक सीमाओं को बढ़ाया गया था

15 मार्च 2003 प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम में अपने पहले के निर्णय पर भरोसा करके संभावित रूप से। डॉ. मनोज रामचंद्रन,

पुनरीक्षण याचिका सं। 400 1993 के 402 तक, जहाँ एन. सी. डी. आर. सी. ने अभिनिर्धारित किया कि आर्थिक अधिकारिता को बढ़ाने वाले संशोधन

प्रकृति में संभावित हैं [यद्यपि ढाडी साहू (सुप्रा) में सिद्धांत की निर्भरता पर]। संसद इस शासी सिद्धांत के प्रति सचेत होगी और फिर भी इसे लागू करने में इसे नहीं बदलने का फैसला किया

उपभोक्ता मंच "।

26. ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि यदि मामले पहले से ही राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज किए जाते हैं तो उपभोक्ताओं को गंभीर कठिनाई होगी।

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण मंच को हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। इसके बाद, 2019 अधिनियम के प्रारंभ से पहले शुरू की गई कार्यवाही 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मंचों के समक्ष जारी रहेगी।

फोरम में परिवर्तन को प्रक्रियात्मक कानून के तहत शामिल किया गया था। उक्त निर्दिष्ट निर्णय में, मोटर वाहन अधिनियम, 1939 के तहत दावा आवेदन दायर करने के मंच को दीवानी मुकदमे से बदल दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि मंच का परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि दावेदार को कार्रवाई का निहित अधिकार है न कि मंच का। वर्तमान अपील में हमारे सामने ऐसा सवाल नहीं उठाया गया है। 28. वीडियोकॉन में रिपोर्ट किए गए निर्णयों में भी मंच परिवर्तन और सीमा की अवधि को प्रक्रियात्मक कानून माना गया है

इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 2 4, और मारिया क्रिस्टीना डी सूजा सोडर और अन्य। वी. अम्रिया जुराना परेरा पिंटो & Ors.25।

29. श्री गुप्ता ने हरिहर पॉलीफाइबर्स बनाम पर भी भरोसा किया है। क्षेत्रीय निदेशक, ई. एस. आई. निगम ", स्प्रिंग मीडोज अस्पताल और ए. एन. आर. वी. हरजोल अहलूवालिया और Anr.27, किशोर लाल बनाम। सभापति,

23 (1975) 2 एससीसी 840 24 (2015) 4 एससीसी 33 25 (1979) 1 एससीसी 92 26 (1984) 4 एससीसी 324 27 (1998) 4 एससीसी 39 ईसीजीसी लिमिटेड बनाम।

मोकुल श्रीराम ई. पी. सी. जेवी

[हेमंत गुप्ता, जे।]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम। 28 और के. एच. नजर बनाम। मैथ्यू के. जैकब & Ors.2[9] 29 ने तर्क दिया कि लाभकारी विधानों के संबंध में, कानून के इरादे का समर्थन करने वाली व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए।

30. हरिहर पॉलीफाइबर्स में, यह न्यायालय दायरे की जांच कर रहा था

31. स्प्रिंग मीडोज अस्पताल में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 1986 के अधिनियम की धारा 2 (1) (डी) (ii) की परिभाषा खंड न केवल सेवाओं को नियुक्त करने वाले व्यक्ति को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है, बल्कि इसके लाभार्थी को भी शामिल किया गया है। ऐसी सेवाएँ। इस प्रकार, बच्चे के माता-पिता और बच्चे दोनों 1986 के अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता होंगे। किशोर लाल के मामले में, इस अदालत ने कहा कि 1986 के अधिनियम में 'उपभोक्ता' की परिभाषा स्पष्ट रूप से काफी व्यापक है और इसके दायरे में न केवल सामान बल्कि विचार के लिए खरीदी या किराए पर ली गई सेवाएं भी शामिल हैं। के. एच. नजर में, सवाल यह था कि क्या एक चट्टानी भूमि जिसका उपयोग किया गया था

उत्खनन उद्देश्यों के लिए एक "वाणिज्यिक स्थल" के रूप में माना जा सकता है, इस प्रकार केरल भूमि सुधार अधिनियम, 1963 के दायरे से छूट दी गई है। हम नहीं हैं।

प्रत्यर्थियों द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों के रूप में कानून में किसी खंड को दी जाने वाली व्याख्या से संबंधित है, लेकिन केवल पहले के प्रावधानों की तुलना में किसी प्रावधान के प्रतिस्थापन के प्रभाव से।

32. एम/एस में मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ। ड्रीम कैसल एंड एन. आर. वी. 2014 के वित्त अधिनियम संख्या 2 द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की संशोधित धारा 35 के संबंध में भारत संघ और Ors.[30] 30 ने अभिनिर्धारित किया कि

जब अपरिवर्तित शर्त ने किसी निर्धारिती के लिए केवल एक मौका या आशा दी अपीलीय प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर पूर्ण छूट प्राप्त करने के लिए, इसे किसी निहित अधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है या इसे पूर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि यह निश्चित रूप से नहीं दिखाया जाता है कि संशोधित शर्त अपरिवर्तित शर्त से अधिक कठिन है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः

" 54. इसलिए, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अपील का अधिकार क़ानून का एक हिस्सा है और विधायिका इस तरह के अधिकार के प्रयोग के लिए शर्तों को लागू करने के लिए अपनी क्षमता के भीतर है, बशर्ते कि

28 (2007) 4 एस. सी. सी. 579 29 (2020) 14 एस. सी. सी. 126 30 डब्ल्यू. पी. 2015 की संख्या 13431 आदि ने 18.4.2016 [2022] 2 एस. सी. आर. पर निर्णय लिया।

प्रतिबंध कि इस प्रकार लगाई गई शर्तें इतनी कठिन नहीं हैं कि

अनुचित प्रतिबंधों की राशि जो अधिकार को लगभग प्रदान करती है भ्रमपूर्ण।

XX

XX

X

X

59. इसलिए, यदि एक शर्त जो पहले से ही उपलब्ध थी

अपील के अधिकार के प्रयोग के लिए कानून, केवल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है एक और शर्त, उसी को पूर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है,

जब तक कि यह निश्चित रूप से नहीं दिखाया जाता है कि संशोधित शर्त अधिक है

अपरिवर्तित स्थिति से अधिक कठिन। जब न सुधरे हुए शर्त ने किसी निर्धारिती को केवल एक मौका या उम्मीद दी

अपीलीय प्राधिकरण के विवेकाधिकार पर कुल छूट, वही

इसे निहित अधिकार के बराबर नहीं माना जा सकता है। केवल आश्वस्त करने का एक मौका

के अनुदान के लिए विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए अपीलीय प्राधिकरण

पूर्ण छूट कोई निहित अधिकार नहीं है। संशोधन, हमारे विचार में

दृष्टिकोण, एक निहित अधिकार को नहीं छीनता है, बल्कि केवल एक मौका देता है

अलग कर दिया। अब जो चला गया है, वह सही नहीं है, बल्कि मौका है या

उम्मीद है। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील का पहला तर्क

क्योंकि याचिकाकर्ता अस्वीकार किए जाने योग्य है। 33. इस दृष्टिकोण से निर्णयों की एक और पंक्ति है कि

आई कानून का निर्माण है और विधायिका निर्धारित करने में सक्षम है

जिन शर्तों पर अपील की जाएगी। ये मामले नहीं हैं

इसलिए, ऐसे निर्णय किसी क़ानून को रद्द करने या रद्द करने के लिए नहीं हैं।

वर्तमान आवेदन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के लिए केबल।

34. संविधान पीठ के बाध्यकारी उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए

ऊपर उल्लिखित, हम भुगतान की उस कठिन शर्त को मानते हैं

% दी गई राशि शिकायतों पर लागू नहीं होगी।

2019 अधिनियम के प्रारंभ से पहले। अतः आई. ए.

एड।

आवेदन की

अनुमति दी गई।

गुजराल